

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-05/01/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी योजनान्तर्गत सारण वन प्रमंडल, छपरा में पथ तट, नदी/बांध तट एवं नहर तट बसंतकालीन वृक्षारोपण हेतु कुल ₹4,64,31,029/- (चार करोड़ चौसठ लाख एकतीस हजार उनतीस रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹1,22,75,509/- (एक करोड़ बाईस लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ नौ रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी योजनान्तर्गत सारण वन प्रमंडल, छपरा में पथ तट, नदी/बांध तट एवं नहर तट बसंतकालीन वृक्षारोपण हेतु कुल ₹4,64,31,029/- (चार करोड़ चौसठ लाख एकतीस हजार उनतीस रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹1,22,75,509/- (एक करोड़ बाईस लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ नौ रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना अन्तर्गत कुल 92.00 कि.मी. में 81000 पौधे रोपित किये जायेंगे। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अग्रिम-सह-समापन कार्य एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक सम्पोषण कार्य किये जायेंगे। इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-1261 दिनांक-12.12.2024 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन में से चयनित संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुरूप किया जायेगा।

माया टोला से माला नहर तट एवं मोलानापुर से रहीमपुरकरन तक के प्राक्कलन पर सक्षम स्तर का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का आवंटन किया जाएगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-102- समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-0109-प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी, मांग संख्या-19, विपत्र कोड-19-2406011020109, विषय शीर्ष-0109.02.01-मजदूरी तथा 0109.21.01 सामग्री एवं पूर्तियों के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561

दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत् अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति विहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), विहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।

11. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग-अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण-पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।

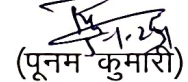
13. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।

14. संचिका संख्या-452/2024 के पृष्ठ-03/टि० पर दिनांक-28.12.2024 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-28.12.2024 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

15. संचिका संख्या-452/2024 के पृष्ठ-04/टि० पर दिनांक-01.01.2025 को विभागीय सचिव की स्वीकृति एवं संचिका के पृष्ठ-05/टि० पर दिनांक-03.01.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक - यथोक्त।

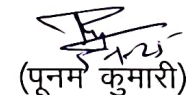
विश्वासभाजन


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-452/2024- 58 /प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-05/01/2025

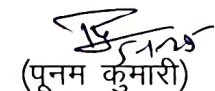
प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-452/2024- 58 /प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-05/01/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी योजनान्तर्गत सारण वन प्रमंडल छपरा में बसंतकालीन वृक्षारोपण योजना के प्राकलन का संशोधित सारांश

क्र.सं.	प्रक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	रकबा (कि.मी.)	पीट की संख्या	माउंड की संख्या	पौधों की संख्या	प्राकलित राशि					कुल
							प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष		
							अग्रिम-सह-स मापन कार्य 2024-25	वर्ष-प्रथम वर्ष सम्पोषण कार्य 2025-26	वर्ष-द्वितीय वर्ष सम्पोषण कार्य 2026-27	वर्ष-तृतीय वर्ष सम्पोषण कार्य 2027-28		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	छपरा	कोठेया से चैनपुर पथ	8	3000	2000	5000	583485.00	785397.00	683734.00	639852.00	2692468.00	
2		चंडाल चौक से गुल्टेनगंज पथ	10	3000	4000	7000	1047499.00	1099556.00	957227.00	895793.00	4000075.00	
3		रामपुर से धर्मबागी पुल तक	7	3000	2000	5000	596092.00	785397.00	673734.00	639852.00	2695075.00	
4	मशरक	आटा से शाहपुर पथ तट	9	4000	3000	7000	857971.00	1099556.00	957227.00	895793.00	3810547.00	
5	छपरा	अरवा से कोईी नहर	4	1500	2000	3500	527646.00	549778.00	478614.00	447896.00	2003934.00	
6		माया टोला से माला नहर तट	11	6000	6000	12000	1585370.00	1884953.00	1640961.00	1535644.00	6646928.00	
7		छोटकीबनया से शाहरछपरा नहर तट	5	1000	4500	5500	1058058.00	863937.00	752108.00	703837.00	3377940.00	
8	दिहवावा	डेरनी (सुतिहार) से नारायणपुर नहर तट	6	1500	4500	6000	1080874.00	942476.00	820481.00	767822.00	3611653.00	
9		मोलनापुर से रहीमपुरकरन तक	10	3000	7000	10000	1696244.00	1570794.00	1367468.00	1279703.00	5914209.00	
10		चेतन छपरा से लौवा काला नहर तट	7	2000	4000	6000	995565.00	942476.00	820481.00	767822.00	3526344.00	
11	मशरक	कोलुहां से हरपुर कराह नहर तट	6	2000	4000	6000	989261.00	942476.00	820481.00	767822.00	3520040.00	
12		मिर्जापुर से सभनपुरा नहर तट	9	3000	5000	8000	1257444.00	1256635.00	1093974.00	1023763.00	4631816.00	
कुल			92	33000	48000	81000	12275509.00	12723431.00	11066490.00	10365599.00	46431029.00	

चार करोड़ चौसठ लाख एकतीस हजार उनतीस रुपये मात्र

चार करोड़ चौसठ लाख एकतीस हजार उनतीस रुपये मात्र

पुनम कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव